

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021कैम्प ललानिया  
फर्द अहकाम  
( नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ  
सन्तोषदेवी बनाम सरकार

किस्म मुकदमा 136 एलआरएक्ट. नम्बर 87 सन-2021

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारीख
21.11.2021	<p>प्रशासन गांव के अभियान कैम्प कोर्ट किकराली में प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को सुना गया।</p> <p>प्रार्थी /अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 63/66 की कुल 28.9220हैक् भूमि दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम सन्तोदेवी पुत्री भानीराम दर्ज किया गया है जो गलत है प्रार्थी का सही नाम सन्तोष पुत्री भानीराम है।</p> <p>प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात , आम आदमी का आधार कार्ड , मतदाता फोटो पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम सन्तोष पुत्री भानीराम दर्ज है प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में सन्तोष पुत्री भानीराम दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।</p> <p>तहसीलदार नोहर की जांच रिपोर्ट /मजमे आम की जानकारी के अनुसार प्रार्थी का नाम सन्तोष पुत्री भानीराम है नाम संशोधन की अभिशपा की गई है।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सन्तोदेवी पुत्री भानीराम दर्ज है एवं प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत अन्य सभी दस्तावेजात मे प्रार्थी का नाम सन्तोष पुत्री भानीराम दर्ज है</p> <p>प्रार्थी के नाम के सम्बन्ध में कैम्प के दौरान सरपंच के द्वारा प्रार्थी के नाम को तस्दीक किया गया</p> <p>प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं सरपंच ग्राम पंचायत ललानिया की तस्दीक के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 63/68 की कुल 28.9220हैक् दर्ज भूमि में प्रार्थी का नाम सन्तो देवी पुत्री भानीराम दर्ज है के स्थान पर सन्तोष देवी उर्फ सन्तोदेवी पुत्री भानीराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।</p>	

उपखण्ड-अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )  
प्रशासन गांव के संग अभियान-2021  
कैम्प कोर्ट- ललानिया

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर  
क्रमांक : राजस्व/रीडर/2021/570 दिनांक :- 25-11-21  
तहसीलदार राजस्व नोहर ।

विषय :- प्रकरण अनवानी सन्तोष बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अनवान :-  
1. सन्तोष उर्फ सन्तोदेवी पुत्री भानीराम जाति जाट साकिन ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी


बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त अनुवानी प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 63/68 की कुल 28.9220 हैक् दर्ज भूमि में प्रार्थी का नाम सन्तो देवी पुत्री भानीराम दर्ज है के स्थान पर सन्तोष देवी उर्फ सन्तोदेवी पुत्री भानीराम संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )  
प्रशासन गांव के संग अभियान-2021  
कैम्प कोर्ट ललानिया